<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 714/11

संस्थापन दिनांक : 09.09.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1—रमाशंकर सिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह भदौरिया उम्र 24 साल, निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना देहात जिला भिण्ड म0प्र0

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 06.04.11 को 13:40 बजे मौ स्योंढ़ा रोड पेट्रेल पम्प के पास किटी मोड थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने पास रखा।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्र0आरक्षक जाहरसिंह को दिनांक 06.04.11 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मय फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान मौ स्योंढ़ा रोड पर पहुंचा तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे मौके पर उपस्थित साक्षी अशोकसिंह व आरक्षक लाखनसिंह के समक्ष फोर्स व गवाहन की मदद से पकडा और तलाशी लेने पर उसकी बांयी तरफ पैन्ट के नीचे कमर में एक देशी हाथ का बना 315बोर का कट्टा लोडेड हालत में मिला तथा दाहिनी तरफ पैन्ट की जेब में एक

315बोर का जिन्दा राउण्ड मिला। आरोपी से नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रमाशंकरिसंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह भदौरिया उम्र 24 साल निवासी कीरतपुरा थाना देहात जिला मिण्ड का होना बताया। आरोपी से कट्टा व राउण्ड रखने का लाइसेन्स पूछने पर आरोपी ने लाइसेन्स न होना बताया तब साक्षीगण के समक्ष आयुध जप्त कर सीलबंद किया गया और जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 बनाया गया तथा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया गया थाना वापिसी पर अप0क0 57/11 की एफ.आई.आर. लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया आयुध का परीक्षण कराकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी और अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 06.04.11 को 13:40 बजे मौ स्योंढ़ा रोड पेट्रेल पम्प के पास डिड़ी मोड थाना मौ जिला मिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने पास रखा ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

- लाखनसिंह अ०सा०1 का कथन है कि वह 5. आरोपी रमाशंकर को जानता है। दिनांक 06.04.11 की बात है। वह दीवानजी के साथ सूचना पर मौ स्योदा रोड किटी रोड के पास गये थे वहां पर आरोपी मिला जिसे उसके तथा साक्षी अशोक अ0सा03 के समक्ष घेरकर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रमाशंकर बताया। आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी की कुमर में दांये तरफ एक कट्टा 315 बोर का जप्त किया तथा कट्टे को खोलकर देखा तो एक जिंदा राउण्ड कट्टे में था तथा एक जिंदा राउण्ड जेब में मिला था मौके पर कट्टे को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रoपी-1 बनाया था तथा आरोपी की गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.04.11 की थी और दिनांक 04.06.11 भुलवश लिखाया जाना बताया है।
- 6. साक्षी अशोकसिंह गुर्जर अ0सा03 का कथन है कि वहआरोपी रमाशंकर को नहीं जानता है पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की जप्ती प.क प्र0पी—1 व गिरफतारी प.क

प्र0पी—2 के बी से बी भ्ज्ञाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी रमाशंकर से एक 315बोर का कट्टा व राउण्ड जप्ती पत्रक प्र0पी—1 के अनुसार जप्त हुआ था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

- 7. साक्षी गुरुदाससिंह अ०सा०५ का कथन है कि वर्ष 2011 अप्रेल माह की बात है। वह उस समय थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उस समय थाने पर ही था उसके साथ लाखन आरक्षक अ०सा०1 भी था तभी जाहरसिंह दीवानजी आये उन्होंने कहा कि मुखबिर से सूचना मिली है कि कोई अवैध हथियार लगाकर घूम रहा है उसकी तस्दीक हेतु स्योंदा मौ रोड पर चलना है तभी मय शासकीय वाहन के मुखबिर द्वारा बताये स्थान मौ किटी रोड पर पहुंचे तो वहां पर आरोपी पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा थी तथा पुलिस को देखकर भागने लगा तो आरोपी को घेरकर पकडा तथा दीवानजी के द्वारा आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के बांये तरफ कमर में एक 315 बोर का देशी कट्टा लोडेड हालत में मिला व दाहिने तरफ जेब में एक 315 बोर का जिन्दा राउण्ड मिला। आरोपी से नाम पता व लाइसेन्स पूछा तो आरोपी ने अपना नाम रमाशंकर भद्दौरिया निवासी भिण्ड का होना बताया तथा लाइसेन्स न होना बताया। कट्टा व राउण्ड का जप्ती पंचनामा दीवानजी जाहरसिंह के द्वारा बनाया गया था तथा आरोपी को गिरफतार किया गया था।
- 8. साक्षी योगेन्द्रसिंह अ०सा०२ का कथन है कि वह दिनांक 21.04.11 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में अम्स लिपिक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र कमांक 340 दिनांक 21.04.11 द्वारा थाना मौ के अप०क० 57/11 से संबंधित केस डायरी एवं शस्त्र मय कारतूस आरक्षक लाखनसिंह यादव द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अवलोकन पश्चात जिला दण्डाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन द्वारा अभियुक्त अभियुक्त रमाशंकर पुत्र वीरेन्द्रसिंह के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर के जिन्दा कारतूस अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रवान की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रवान की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रवान की रायी। उक्त अभियोजन स्वान स्वान
- 9. साक्षी सुरेश दुबे अ०सा०४ का कथन है कि दिनांक 17.04.11 को वह पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर्र के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को पुलिस थाना मौ के

अप०क० 57/11 घारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा कट्टा व राउण्ड सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुए। जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर के दो जिन्दा राउण्ड उसके द्वारा की गयी थी। जांच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था कट्टे से फायर किया जा सकता था। दो जिंदा 315 बोर का राउण्ड थे जिनकी पेंदी पर 8एम.एम.के.एफ.लिखा था दोनों राउण्डों को फायर किया जा सकता था। बाद जांच कर अपनी सील लगाकर कट्टा व राउण्ड थाना वापिस किए गए। उक्त रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी जो प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 10. प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अशोक अ०सा०३ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। जप्तीकर्ता अधिकारी जहारसिंह का भी अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र लाखनसिंह अ०सा०१ व गुरूदास अ०सा०5 द्वारा ही अभियोजन मामले के समर्थन में साक्ष्य दी गयी है। लाखनसिंह अ०सा०१ ने जप्ती पत्रक प्र०पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी—2 को साबित किया है।
- 11. लाखनिसंह अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि वह, दीवानजी और गरूदास अ०सा०५ सरकारी गाड़ी से रवानगी डालकर गये थे और रवानगी पर्चा प्रकरण में पेश नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रवानगी रोजनामचा की प्रति प्रकरण में संलग्न है फिर भी उसे अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराई गयी है और उक्त प्रति किस प्रकार असत्य है यह भी बचाव पक्ष ने स्पष्ट हनीं या है।
- 12. लाखन अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि आरोपी की तलाशी लेने से पहले दीवानजी ने स्वयं की तलाशी नहीं दी थी। गुरूदास अ०सा०५ ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि रमाशंकर की तलाशी दीवानजी ने ली थी और दीवानजी ने तलाशी लेने से पहले अपनी तलाशी उसके सामने दी थी। अतः जामा तलाशी के संबंध में दोनों साक्षीगण ने विरोधाभासी कथन किए हैं परन्तु बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा नहीं है कि दीवानजी अर्थात जहारसिंह द्वारा स्वयं कट्टा रखा गया हो। अतः उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है।
- 13. लाखनसिंह अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि सवा बजे उसे सूचना मिली थी तब वह थाने में उपस्थित थे और घटनास्थल पर पहुंचने में उन्हें बीस मिनट का समय लगा था आरोपी उन्हें देखकर भागा था जिसे दीवानजी और गुरूदास अ०सा०५ ने पकड़ लिया था । गुरूदास अ०सा०५ ने भी यही कथन किया है कि वह सवा—डेढ बजे के करीब निकले थे और घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग दस

मिनट लग जाता है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा वर्णित समय से जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 में दिए समय की संपुष्टि होती है।

- 14. अतः लाखनसिंह अ०सा०१ के कथन से जप्ती पत्रक प्र0पी—१ सम्यक रूप से साबित होता है। लाखनसिंह द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में भी अविश्वसनीय प्रतीत नहीं हुए हैं। लाखनसिंह के कथन की संपुष्टि गुरूदास अ०सा०५ के कथन से भी होती है। गुरूदास अ०सा०५ के कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहकर विश्वसनीय प्रतीत हुए हैं। उक्त दोनों साक्षीगण यद्यपि पुलिस साक्षीगण हैं परन्तु उनकी आरोपी से कोई कूट रंजिश प्रमाणित नहीं हुई है। अतः मात्र पुलिस साक्षीगण होने से उनके कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः लाखनसिंह अ०सा०१ व गुरूदास अ०सा०५ के कथन से घटनास्थल से आरोपी से आयुध जप्त होना प्रमाणित होता है।
- 15. सुरेश अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने कट्टा व राउण्ड को फायर करके नहीं देखा परन्तु बचाव पक्ष द्वारा भी उक्त साक्षी के विशेषज्ञ होने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है और विशेषज्ञ साक्षी के रूप में इस साक्षी ने आरोपी से जप्त कट्टा फायर योग्य होना बताया है जिससे वह आयुध की श्रेणी में होना प्रमाणित होता है। योगेन्द्रसिंह अ०सा०२ द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्र०पी—3 साबित की गयी है उसके कथन में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं कि अविवेकपूर्ण स्वीकृति दी गयी हो।
- 16. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 06.04.11 को 13:40 बजे मौ स्योंढ़ा रोड पेट्रेल पम्प के पास किटी मोड थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने पास रखा।
- 17. परिणामतः को आरोपी धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 18. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आयुध धारण किया गया था जिससे जनहानि होना संभाव्य थी। अतः आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है जिससे उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- 19. आरोपी अभिरक्षा में है। अतः प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सूनने हेत् कुछ देर पश्चात पेश हो।

20. आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। बचाव पक्ष द्वारा आरोपी को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया गया है।

6

- 21. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी को धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 100/-रुपये अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिकम की दशा में पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
- 22. प्रकरण में आरोपी दिनांक 07.04.11 से 29.04.11 तक और दिनांक 16.03.15 से आज दिनांक तक अभिरक्षा में रहा है। अतः उक्त निरोध में बितायी अवधि मूल सजा में समायोजित की जाये और इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये।
- 23. आयुध 315 बोर का कट्टा और 315 बोर के दो राउण्ड अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०